



राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फ़ैक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/17/18516

दिनांक :- 20/12/17

:- आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के प्रशासनिक/कार्यव्यवस्था के तहत निम्नलिखित नगर निकायों में पदस्थापित किया जाता है।

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	श्री रविन्द्र ओटवाल	स्वास्थ्य निरीक्षक	बिलाडा	मुकन्दगढ
2.	श्री सरदार कॉरपेन्टर	कनिष्ठ लिपिक	बून्दी	मुकनदगढ
3.	श्री सुरेन्द्र सैनी	कनिष्ठ लिपिक	भिवाडी	राजगढ (अलवर)

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
- यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यभार नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी रोवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/18517-531 दिनांक:- 20/12/17
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
- सभापति/आयुक्त/अध्यक्ष/नगरपरिषद/पालिका/बून्दी/बिलाडा/मुकन्दगढ/भिवाडी/राजगढ (अलवर)।
- उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/कोटा/जोधपुर।
- संबंधित कर्मचारी.....।
- सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)